सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

आंचलिक कार्यालय (पूर्वी अंचल) सह क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, नामकुम, राँची, झारखण्ड–834010

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएँ

क्र. सं	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ	पात्रता	हितलाभ अवधि	हितलाभ का दर
1.	चिकित्सा हितलाभ	सभी बीमित व्यक्ति	बीमायोग्य नियोजन में आने की तिथि से संबंधित हितलाभ अवधि तक	पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधा सुपर स्पेशिलिटी (कुछ शर्तों के साथ) चिकित्सा देखभाल व्यापक चिकित्सा देखभाल
	सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा हितलाभ की शर्तें : 1. बीमित व्यक्ति हेतु 06 माह एवं बीमित व्यक्ति के परिवार हेतु एक वर्ष की बीमाजन्य रोजगार की सेवा (सेवा की गणना कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निबंधन/रजिस्ट्रेशन की तिथि से की जाएगी। 2. बीमित व्यक्ति हेतु पिछले अंशदान अवधि में 78 दिन का अंशदान व परिवार हेतु 156 दिनों का अंशदान (प्रत्येक अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान अनिवार्य है)। 3. इन दो अंशदान अवधि में प्रत्येक 78 दिन की सेवा/अंशदान का भुगतान किया गया है। 4. रोजगार चोट के मामले में बिना कोई शर्त अतिविशिष्ट उपचार की सुविधा मिलेंगी।			
2.	बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिन की सेवा/अंशदान	दो हितलाभ अवधि में 91 दिन	औसत वेतन का 70%
3.	परिवर्धित बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिन की सेवा/अंशदान	महिला कामगार 14 दिन/ पुरूष कामगार 7 दिन	औसत वेतन का 100%
4.	विस्तारित बीमारी हितलाभ	लगातार 4 अंशदान अवधि में कम से कम 156 दिन की सेवा/अंशदान इन चार अंशदान तथा अवधि में से किन्हीं एक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिन की सेवा/अंशदान	92 से 309 दिन तक 34 प्रकार के विशिष्ट बीमारी में तथा अधिकतम 730 दिनों तक लम्बी अवधि के विशिष्ट बीमारी में	औसत वेतन का 80%
5.	अस्थायी अपंगत हितलाभ	बीमायोग्य नियोजन के प्रथम दिन से रोजगार चोट के कारण	जब तक अपंगता है	औसत वेतन का 90%
6.	स्थायी अपंगत हितलाभ	बीमायोग्य नियोजन के प्रथम दिन से रोजगार जनित चोट के कारण	अपंगता के स्थिति में आजीवन	आवश्यकता के अनुसार
7.	आश्रितजन हितलाभ	बीमायोग्य नियोजन के प्रथम दिन से	रोजगार चोट के कारण मौत होने पर आश्रित को नियम 58 के तहत भुगतान	औसत वेतन का 90% शेयर के अनुसार

8.	मातृत्व हितलाभ	पूर्ववर्ती 1 या 2 लगातार अंशदान अवधि में 70 दिनों की सेवा/अंशदान	1. समान्य प्रसव में प्रथम दो जीवित बच्चे के लिए 26 सप्ताह 2. गर्भपात होन पर 12 सप्ताह	औसत वेतन का 100%
9.	प्रसूति व्यय	बीमायोग्य नियोजन के प्रथम दिन से	दो प्रसव तक	7500/– रू. प्रत्येक केस में जहाँ ई.एस.आई. की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
10.	अंत्येष्टि व्यय	बीमायोग्य नियोजन के प्रथम दिन से		वास्तविक व्यय या अधिकतम 15000 रूपया
11.	सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों की चिकित्सा सुविधा	सेवा–निवृति/स्थायी रूप से सेवा–निवृत्त/वी आर एस के तहत सेवा–निवृत्त, 5 साल के सेवा के बाद/रोजगार चोट के कारण स्थायी रूप से सेवा–निवृत्त –ऐसे बीमित व्यक्ति के पति या पत्नी/आश्रित हितलाभ प्राप्त करने वाले पति या पत्नी	वार्षिक आधार पर	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उपलब्ध चिकित्सा हितलाभ रकम 120/– रूपया वार्षिक के भुगतान पर
12.	राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना	बीमायोग्य नियोजन में अंतिम 2 साल की सेवा में प्रत्येक अंशदान अवधि में 78 दिन का अंशदान	अधिकतम 24 माह साथ ही 1 साल तक व्यवसायिक प्रशिक्षण	1 से 12 माह तक औसत मजदूरी का 50%, 13 से 24 माह तक औसत मजदूरी का 25% अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा हितलाभ
13.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	बेरोजगारी की स्थिति में	अधिकतम 90 दिनों के लिए, सम्पूर्ण जीवनकाल में एक बार	औसत दैनिक आय का 25% राहत राशि के रूप में
14.	क.रा.बि. निगम के मेडिकल कॉलेज में बीमित व्यक्तियों के आश्रित पुत्रों/पुत्रियों का नामांकन	वह बीमित व्यक्ति होना चाहिए	लाभार्थी की पात्रता प्रोंतिक रूप से वैध अविवाहित पुत्री या 21 वर्ष तक का पुत्र, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा हो	

अंशदान अवधि	हितलाभ अवधि
अप्रैल से सितम्बर	जनवरी से जून
अक्टूबर से मार्च	जुलाई से दिसम्बर

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी क.रा.बी निगम के क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय या औषधालय–सह–शाखा कार्यालय से संपर्क करे या Rd-jharkhand@esic.nic.in पर ई–मेल करें या विजिट करें rojharkhand.esic.gov.in क.रा.बी योजना से संबंधित किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए pgcell-jh@esic.gov.in पर ई–मेल करें।